

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन म.प्र.

नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त
DST-FIST सहायतित



शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन म.प्र.

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन की परिभाषा निम्नानुसार है:-

1. शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना; या
2. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना ;या
3. लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना; या
4. अश्लील साहित्य दिखाना; या
5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ उपरोक्त में से किसी प्रकार का अपमानजनक आचरण करता है तो आपके कार्यालय में ही निराकरण के लिये आन्तरिक समिति गठित की गई है जो निम्नानुसार है:-

क्रं.	नाम	पद	मोबाइल नं.
1.	डॉ.कल्पना सिंह प्राध्यापक (IQAC coordinator)	पीठासीन अधिकारी	9713389538
2.	डॉ.मनमीत कौर मक्कड़ (प्राध्यापक)	सदस्य	9424878822
3.	डॉ.शशि जोशी (प्राध्यापक)	सदस्य	9425828000
4.	डॉ.प्रदीप लाखरे (सहा. प्राध्यापक)	सदस्य	9407131513
5.	सुश्री प्रीति साठे (स्वस्तिक हैंडीक्राफ्ट वूमन वेलफेयर एसोसिएशन)	अशासकीय सदस्य	9039490049

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन म.प्र.

नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त
DST-FIST सहायतित



6.	सुश्री वैशाली साठे (स्वस्तिक हैंडीक्राफ्ट वूमन वेलफेयर एसोसिएशन)	अशासकीय सदस्य	9407158808
----	--	---------------	------------

आप निर्भीकता से इस समिति के समक्ष अथवा shebox.nic.in पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गये हैं, तो समिति संबंधित के विरुद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाह करने की अनुशंसा कर सकती हैं। आपकी शिकायत पूर्णतः गोपनीय रहेगी।



प्रो. व्ही. के. गुप्ता
प्राचार्य
शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय
उज्जैन